आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03582/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103582
सदर निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट करमवीर पो0 ससवाही गंगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिजिला वाराणसी बजरिए प्रबंन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मौजा जुसरी परगना मझवार चन्दौली मे स्थित आ0नं065ख मि0 रकबा 117हे0मे से रकबा 1600वर्ग फीट गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार चन्दौली को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक-

(हीरालाल)
उप जिलाधिकारी(सदर)
चन्दौली।
06/11/19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03581/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103581
र निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट करमवीर पो0 सुसुवाही गंगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिला
वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है अपितु काश्तकारी भूमि है। इसप्रकार तहसीलदार व राजस्व कर्मियो की आख्यानुसार विवादित आराजी गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है। साथ ही वादी द्वारा निर्धारित निबन्धन शुल्क, न्याय शुल्क व विभाजन शुल्क जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार किये जाने के योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना मझवार चन्दौली मे स्थित आ0नं0298 रकबा 2.266हे0 मे से रकबा0.190हे0 व आ0नं0300रकबा 0.348हे0मे से रकबा 0.083हे0 गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार चन्दौली को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक

(हीरालाल)
उप जिलाधिकारी(सदर)
चन्दौली।
06/11/19

[redacted]

[redacted]

07/11/19
रा.लि.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03580/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103580
ा चेरीटेबुल ट्रस्ट करमवीर पो0 ससुवाही गंगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्याय शुल्क जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार किये जाने के योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना मझवार चन्दौली मे स्थित आ0नं0301रकबा 0.125हे0 मे से रकबा0.0954हे0 गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार चन्दौली को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक

(हीरालाल)
उप जिलाधिकारी(सदर)
चन्दौली।
06/11/19

[redacted]

06/11/19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03582/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103582
मदर निर्मला चेरीटेबुल टस्ट करमवीरे पो0 सुसवाही गगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मदर निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट करमनबीर पो0 सुसुवाही गंगा जमुना भवन,परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय निवासी करमनबीर पो0 सुसुवाही परगना देहात अमानत जिला वाराणसी के प्रा0प0 के आधार पर आरम्भ हुई। वादी द्वारा इस कथन के साथ प्रा0प0प्रस्तुत किया गया कि वह मौजा जसुरी परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली मे स्थित आ0नं065ख मि0रकबा 0.117 हे0 मे से रकबा 1600वर्ग फीट का सह खातेदार भूमिधर है। उक्त रकबे पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही होता है अपितु उक्त रकबे पर ट्रस्ट के प्रयोजनार्थ भवन निर्माण व बाउण्ड्री कराया गया है। अतः आराजी निजाई के उक्त रकबे को गैर कृषि प्रयोजनार्थ घोषित किया जाय। प्रा0प0 के साथ विवादित आराजी की खतौनी व खसरे तथा जो0च0आ0प041व 45 की नकल दाखिल की गयी।

उक्त प्रा0प0की जॉच तहसीलदार चन्दौली से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से स्थलीय जॉच कराकर निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि आराजी निजाई के रकबा1600वर्गफीट भूमि पर मकान निर्मित है किसीप्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है।

वादी की ओर से उपनिबन्धक चन्दौली द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क व उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क तथा विभाजन शुल्क जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी मौजा जसुरी परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली 1423–1428फसली खाता सं0257 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी का वादी सहखातेदार भूमिधर दर्ज है तथा पत्रावली पर उपलब्ध विवादित आराजी से संबंधित जो0च0आ0प0 41 व 45 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है अपितु काश्तकारी भूमि है। तहसीलदार व राजस्व कर्मियो की आख्या से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के रकबा 1600वर्गफीट पर मकान निर्मित है। कृषि प्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है एवं गैर कृषि प्रयोजन मे लाया जा रहा

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03581/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103581
निर्मला चेरीटेबुल टस्ट करमवीर पो0 सुसुवाही गगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिजिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मदर निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट करमनबीर पो0 सुसुवाही गंगा जमुना भवन,परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय निवासी करमनबीर पो0सुसुवाही परगना देहात अमानत जिला वाराणसी के प्रा0प0के आधार पर आरम्भ हुई। वादी द्वारा इस कथन के साथ प्रा0प0प्रस्तुत किया गया कि वह मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली मे स्थित आ0नं0298रकबा 2.226हे0मे से रकबा 0.190हे0 व आ0नं0300रकबा 0.083हे0 का खातेदार भूमिधर है। उक्त पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही होता है अपितु सम्पूर्ण रकबा कृषि से भिन्न प्रयोजन मे लाया जा रहा है। अतः आराजी निजाई के उक्त रकबे को गैर कृषि प्रयोजनार्थ घोषित किया जाय। प्रा0प0के साथ विवादित आराजी की वर्तमान फसली की खतौनी व खसरे तथा जो0च0आ0प0 41व 45 की नकल दाखिल की गयी।

उक्त प्रा0प0की जॉच तहसीलदार चन्दौली से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से स्थलीय जॉच कराकर निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि आ0नं0298 रकबा 2.226हे0 मे से रकबा 0.190हे0व आ0नं0300रकबा 0.348हे0मे से रकबा 0.083हे0 का भूमिधर है। आ0नं0 298 के रकबा 0.075हे0 पर मकान बना हुआ है आ0नं0300रकबा 0.083हे0 कोई निर्माण नही है बाउण्ड्री बाल से से घीरा हुआ है। उक्त रकबे पर किसीप्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है।

वादी की ओर से उक्त आराजी से संबंधित उपनिबन्धक चन्दौली द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क व उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क तथा विभाजन शुल्क जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय, परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली1427–1432फसली खाता सं0118 व खाता सं0237 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी का वादी सहित खातेदार भूमिधर दर्ज है तथा पत्रावली पर उपलब्ध नकल जो0च0आ0प0 41 व 45 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :चन्दौली
वाद संख्या :-03580/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914180103580
मदर निर्मला चेरीटेबुल टस्ट करमवीर पो0 सुसुवाही गंगा जमुना भवन परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मदर निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट करमनबीर पो0 सुसुवाही गंगा जमुना भवन,परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए प्रबन्धक कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय निवासी करमनबीर पो0सुसुवाही परगना देहात अमानत जिला वाराणसी के प्रा0प0के आधार पर आरम्भ हुई। वादी द्वारा इस कथन के साथ प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया कि वह मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली मे स्थित आ0नं0301रकबा 0.125हे0 का खातेदार है। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही होता है अपितु सम्पूर्ण रकबा किसी से भिन्न प्रयोजन मे लाया जा रहा है। अतः आराजी निजाई के सम्पूर्ण रकबे को गैर कृषि प्रयोजनार्थ घोषित किया जाय। प्रा0प0के साथ विवादित आराजी की खतौनी व खसरे तथा 1356फसली की खतौनी की नकल दाखिल की गयी।

उक्त प्रा0प0की जॉच तहसीलदार चन्दौली से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से स्थलीय जॉच कराकर निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि आराजी निजाई के रकबा0.0954हे0पर मकान बना हुआ है एवं शेष रकबा बाउण्ड्री से घीरा हुआ है जिसपर कृषि कार्य नही किया जाता है।

वादी की ओर से आराजी निजाई के उक्त रकबे से संबंधित उपनिबन्धक चन्दौली द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क व उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली 1421–1426फसली खाता सं028 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी का वादी खातेदार भूमिधर दर्ज है तथा पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी 1356 फसली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है अपितु काश्तकारी भूमि है। तहसीलदार व राजस्व कर्मियो की आख्या से विदित होता है कि विवादित आराजी के रकबा 0.125हे0मे से 0.0954हे0 पर मकान निर्मित है एवं कृषि कार्य नही किया जाता है। इसप्रकार उक्त आराजी गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है तथा वादी द्वारा निर्धारित निबन्धन शुल्क व

Scanned with OKEN Scanner